कार्यालय जिला अभियंता,जिला परिषद,सारण छपरा।

सारण,जिला परिषदीय सैरातों यथा टेक्सी स्टैण्ड/हाट बाजार आदि की वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये बन्दोवस्ती हेतु अल्पकालीन आम सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये जिला परिषद,सारण, छपरा के अधीन पडने वाले सैरातों यथा टेक्सी स्टैण्ड/हाट बाजार /फाटक एवं जिला परिषदीय सोनपुर गॉछी क्षेत्र में पड़ने वाले पेडों से फल फुल तोड़ने हेतु वार्षिक बन्दोवस्ती खुली डाक द्वारा जिला परिषदीय सभागार छपरा में निम्न निर्धारित तिथियों को 11.00 बजे से अधोहस्ताक्षरी अथवा प्राधिकृत पदाधिकारियों के अध्यक्षता में जिला परिषद द्वारा निर्धारित शर्त्तो पर की जायेगी। खुली डाक द्वारा वार्षिक बन्दोबस्ती की प्रथम तिथि 09.04.2019 से 11.04.2019 द्वितीय तिथि 15.04.2019 एवं तृतीय तिथि 16.04.2019 निर्धारित की जाती है। खुली डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर विहित शर्तो के जानकारी प्राप्त कर सकते है साथ ही विस्तृत जानकारी जिले के Website. www.saran.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

नोटः– बिना कारण बताये उच्चत्तम डाकवक्ता को बन्दोबस्ती देने अथवा नहीं देने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेंगा।

इच्छुक डाकवक्ता /व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं स्थान पर निम्नलिखित शर्तो के साथ खुली डाक में भाग ले सकते है।

शर्तेः–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को अचंल पदाधिकारी द्वारा हाल में निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र एवं थाना प्रभारी द्वारा निर्गत हाल मे निर्गत स्वच्छ चरित्र प्रमाण पत्र जमानत राशि जमा करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति डाक प्रारंभ होने से पूर्व जमानत राशि के रूप में निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का एक चौथाई राशि जमा करने से संबंधित प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ही डाक में भाग ले सकेंगे।
3. डाक की सुरक्षित जमा राशि से डाक बोली की राशि में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में जैसे–जैसे डाक की राशि बढेगी वैसे–वैसे डाक बोली की पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात् ही डाकवक्ता आगे डाक बोली लगा सकेगें।
4. डाक पूर्ण होने के पश्चात उच्चतम डाक वक्ता द्वारा पूर्ण राशि एक मुश्त डाक स्थल पर जमा करना होगा यदि उच्चत्तम डाक वक्ता द्वारा डाक स्थल पर राशि जमा नहीं की जाती है तो जमानत की राशि को जप्त कर द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता के साथ बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु बन्दोबस्ती की तिथि से टॉल वसूली के लिए डाक लेने वाले व्यक्ति को डाक की उच्चतम बोली की राशि का 5% राशि पोस्टेज स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करने के लिये जमा करना अनिवार्य होगा। वह डाक की राशि से अलग देय होगा।
6. जिला परिषद् सारण द्वारा टॉल वसूली हेतु निर्धारित दर पर बन्दोवस्तदार द्वारा टॉल वसूली की जायेगी। निर्धारित राशि से अधिक राशि की वसूली की जाने से संबंधित शिकायत/परिवाद पत्र प्राप्त होने पर उनके साथ की गयी बन्दोवस्ती को रद्द कर उनके विरुद्ध नियामानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
7. बन्दोवस्तदार द्वारा टॉल के रूप में वसूली की गयी राशि का रसीद देना अनिवार्य होगा।
8. जिला परिषद् का सैरात से संबंधित पूर्व बकायादार खुली डाक में भाग नहीं ले सकेगें। पूर्व का बकाया राशि डाक प्रारंभ होने के पूर्व जमा कर प्राप्ति रसीद के साथ डाक में भाग ले सकेंगे।
9. किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा तथा अन्य स्थानीय कारणों से क्षति होने की स्थिति में बन्दोवस्ती की राशि में किसी तरह की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का दायित्व जिला परिषद् का नहीं होगा।
10. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि वे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है।

ह0/- 25/3/19
जिला अभियंता
जिला परिषद् सारण, छपरा।

ज्ञापांक 77 दिनांक 25/3/19

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,सारण,छपरा को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिला के Website पर सैरातों की बन्दोबस्ती संलग्न सूची एवं आम सूचना प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

ह0/- 25/3/19
जिला अभियंता
जिला परिषद् सारण, छपरा।

[illegible] जिला परिषद [illegible]

[illegible] बस स्टैण्ड / टैक्सी स्टैण्ड / बाजार आदि का वार्षिक बन्दोवस्ती 2019–20 के लिए सुरक्षित जमा की विवरणी–

	सैरात का नाम	वर्ष 2016–17 की बन्दोवस्ती की राशि	वर्ष 2017–18 की बन्दोवस्ती की राशि	वर्ष 18–19 की बन्दोवस्ती की राशि	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित सुरक्षित जमा राशि	वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित सुरक्षित जमा राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सढ़ा ढ़ाला बस स्टैण्ड	3351500.00	3352000.00	3353[illegible].00	3854800.00	3854800.00
2	परसा टैक्सी स्टैण्ड	410000.00	411500.00	4740[illegible]	473225.00	473225.00
3	मकेर टैक्सी स्टैण्ड	180500.00	200151.00	240000.00	230174.00	230174.00
4	शीतलपुर टैक्सी स्टैण्ड	863700.00	863751.00	885500.00	993314.00	993314.00
5	एकमा सोहागपुर पथ में एकमा चट्टी टैक्सी स्टैण्ड	171500.00	130000.00	130500.00	708199.00	708199.00
6	पटेढ़ा टैक्सी स्टैण्ड	198700.00	199100.00	205000.00	464773.00	464773.00
7	अमनौर टैक्सी स्टैण्ड	320000.00	321500.00	335000.00	812753.00	812753.00
8	गड़खा टैक्सी स्टैण्ड	133000.00	350000.00	405000.00	402500.00	402500.00
9	जिला परिषद् के प्रांगण में स्टैण्ड	—	—	—	178500.00	178500.00
		हाट बाजार				
1	दिघवारा गुदरी बाजार	102500.00 (छः माह हेतु)	209000.00	221500.00 (तीन तिथि के बाद)	631736.00	631736.00
2	मढ़ौरा बाजार	351000.00	327500.00	993500.00	993198.00	993198.00
3	सतुआ बाजार	—	—	—	25300.00	25300.00
4	चनचौरा बाजार	विगत तीन वर्षो से डाक नहीं हुआ है।				
5	कोहड़ा बाजार	176000.00	177500.00	204250.00	204125.00	204125.00
6	हरपुर गढ़ बाजार	विगत तीन वर्षो से डाक नहीं हुआ है।				
7	जनता बाजार	40500.00	42001.00	48500.00	48301.00	48301.00
8	ताजपुर फुलवरिया बाजार	97300.00	40100.00	25091.00	111895.00	111895.00
9	सरेया बाजार	9100.00	9150.00	9500.00	12928.00	12928.00
10	गौरा बाजार	62600.00	39500.00	71880.00	71875.00	71875.00
11	पचरौड़ा बाजार	13100.00	14001.00	16200.00	16101.00	16101.00
12	बेलउर बाजार	7500.00	7500.00	20100.00	11788.00	11788.00
13	खोदाई बाग बजार	2025.00	2050.00	2100.00	2358.00	2358.00
14	पटेढ़ा बाजार	15000.00	12750.00	12850.00	25260.00	25260.00
15	खाकी मठिया बजार	2500.00	2500.00	—	2890.00	2890.00
16	महम्मदपुर बाजार	2900.00	3000.00	3500.00	4100.00	4100.00
17	गड़खा बाजार	123800.00	125000.00	137500.00	143750.00	143750.00
18	धेनुकी बाजार	विगत तीन वर्षो से डाक नहीं हुआ है।				
19	वनपुरा बाजार	124000.00	51500.00	55000.00	142600.00	142600.00
20	हरपुर ईमली बाजार	नहीं हुआ था	नहीं हुआ था	35500.00	—	—
21	पानापुर बाजार	नहीं हुआ था	नहीं हुआ था	5500.00	—	—
22	डुमाईगढ़ रामनवमी मेला	विगत तीन वर्षो से डाक नहीं हुआ है।				
		फलफुल				
1	[illegible] लैंड एरिया [illegible] तोड़ने हेतु	270000.00	55000.00	311100.00	421466.00	421466.00

			फाटक			
1	सतजोड़ा फाटक	3200.00	3200.00	3500.00	4658.00	4658.00
2	धेनुकी फाटक	2000.00	2000.00	नहीं हुआ था	3450.00	3450.00
3	नगरा फाटक	6500.00	6888.00	6250.00	7921.00	7921.00
4	संठा फाटक	1500.00	1600.00	1185.00	1840.00	1840.00
5	रामकोला (तरैया) फाटक	—	1005.00	1650.00	2228.00	2228.00
6	दरियापुर फाटक	2400.00	—	नहीं हुआ था	3335.00	3335.00
7	मिर्जापुर फाटक	विगत तीन वर्षो से डाक नहीं हुआ है।		2005.00	—	—
8	डुमरसन फाटक	विगत तीन वर्षो से डाक नहीं हुआ है।				
			बैलगाड़ी			
1	मशरक प्रखंड	विगत तीन वर्षो से डाक नहीं हुआ है।				
2	मढ़ौरा प्रखंड	विगत तीन वर्षो से डाक नहीं हुआ है।				
3	बनियापुर प्रखंड	विगत तीन वर्षो से डाक नहीं हुआ है।				

नोटः— राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या 02 रा0 दिनांक 08.01.1982 में सरकार का स्पष्ट निदेश है कि सुरक्षित जमा राशि तीन वर्षो पर निर्धारित की जायेगा,जिसमें विगत वर्ष की सुरक्षित जमा राशि/बन्दोवस्ती राशि जो भी अधिक हो उसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि कर की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिये बन्दोवस्ती हेतु उल्लेखित परिपत्र के आलोक में सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण तीन वर्षो के बाद किया गया था।

अतः विभागीय परिपत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए सैरातों की बन्दोवस्ती हेतु निर्धारित सुरक्षित जमा राशि विगत वर्ष 2018—19 में निर्धारित सुरक्षित जमा राशि ही होगी। जिसकी स्वीकृति जिला परिषद से प्राप्त की जा सकती है।

28/02/19

उप विकास आयुक्त,
—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद् सारण, छपरा।